

## पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-10-5-2018-तैंतीस.—

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010**  
**(संशोधित 2018)**

**1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-**

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी संशोधन दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य -

(अ) देशी-विदेशी अतिथियों को किफायती दरों पर आवास, भोजन सुविधा प्रदाय करना,

(ब) विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना तथा

(स) निजी क्षेत्र को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

1.5 यह योजना होटल, मोटल, गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी।

1.6 योजना के विस्तृत दिशा निर्देश, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे।

**2. पंजीयन :-**

2.1 सम्पत्तिधारक अपने आवास गृह (जिसे आगे इकाई कहा जायेगा) का स्वयं के उपयोग के अंश को छोड़कर शेष कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक / अतिथियों को रहवास के लिये उपलब्ध करा सकेगा।

## 2.2 होम स्टे श्रेणी एवं पंजीयन शुल्क -

1. सिल्वर - रुपये 1000/- + (जीएसटी)
2. गोल्ड - रुपये 2000/- + (जीएसटी)
3. डायमण्ड - रुपये 3000/- + (जीएसटी)

सिल्वर, गोल्ड एवं डायमंड श्रेणी का निर्धारण परिशिष्ट - 'एक' में दी गयी मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

## 2.3 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

2.4 पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रुपये 1000/- + जी.एस.टी. शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के 3 माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को प्ररूप - 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट / RTGS / NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.6 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'इकाई' को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात् -

- (क) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय इकाई हो तथा उसका स्वामी परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवासरत हो।
- (ख) यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सकेगा जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

- (ग) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा, आपूर्ति, फर्नीचर, व अन्य सुविधाएँ उपयुक्त स्तर की होगी। कमरों में हवा आने- जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।
- (घ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो एवं
- (ङ) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड' द्वारा निर्धारित की जावें।

- 2.7 उप कंडिका (2.5) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त गठित समिति को उसकी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये प्रेषित करेगा ।
- 2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा । आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा ।
- 2.9 समिति, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगी । समिति अपनी अनुशंसाएँ देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगी।
- 2.10 समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्ररूप - 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये होगा, यदि उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये । इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा ।
- 2.11 'इकाई' के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 3 माह के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.12 प्रबंध संचालक इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्ररूप - 'स' में संधारित करायेंगे ।

3. उक्त योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन तथा निरीक्षण कर अनुशंसा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत करने का कार्य निम्नानुसार समिति द्वारा किया जायेगा:-

1. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में नियुक्त प्रभारी अधिकारी, होम स्टे।

2. स्थानीय क्षेत्रीय प्रबंधक / प्रबंधक, म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निर्हर होगी :-

(क) यदि सम्पत्तिधारक किसी आपराधिक मामले में दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया हो गया हो, या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका - 9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो ।

5. सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वह :-

5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्ररूप - 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जावेगा ।

5.2 इकाई में रुकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर भेजे ।

5.3 इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से करावे ।

5.4 भवन को अच्छी हालत में संधारित करें, भवन की साफ - सफाई अच्छी रखी जावे, सभी प्रकार की सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करे ।

- 5.5 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया मैन्यु दरों के साथ, चेक आउट का टाइम तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करें ।
- 5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर ताजा तैयार कर उपलब्ध करावें ।
- 5.7 अतिथियों को रुकने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करावें ।
- 5.8 अतिथियों को खान-पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि वादा किया जाये, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 5.9 बिन्दु 8 (1) के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित करें। वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर नाम पट्टिका लगानी होगी।
- 5.10 इकाई के विरुद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई डी को काउंटर पर सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा ।
- 5.11 इकाई द्वारा कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उस के अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजें ।

## 6. सम्पत्तिधारक :-

- 6.1 फ्रंट आफिस संधारित नहीं करेगा तथा सम्पूर्ण आवास सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा ।
- 6.2 टूर ट्रेवल्स, साइट सीईंग, हेण्डीक्राफ्ट, यातायात या उसके समान किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियाँ न तो स्वयं संचालित करेगा और न ही इकाई परिसर से उसके संचालन की अनुमति देगा ।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो ।

6.4 किसी भी व्यक्ति को स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा ।

**7. अतिथि के दायित्व:-**

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न का पालन करेगा, अर्थात :-

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा ।

7.2 वह अच्छा आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे मोहल्ले में न्यूसेंस उत्पन्न होता हो ।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा ।

7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, इकाई में यदि कोई क्षति करे तो उसकी मरम्मत की क्षतिपूर्ति करेगा। परन्तु ऐसी क्षति में सामान्य वियर एवं टियर शामिल नहीं हैं ।

7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और स्थापना के नियमों का पालन करेगा ।

7.7 वह किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रुकने की अनुमति नहीं देगा ।

## 8. अतिथियों की शिकायत का निराकरण :-

8.1 जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत फैक्स, ई-मेल या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी होना चाहिये।

8.2 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

## 9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण - पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात् -

- (क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो,
- (ख) यदि सम्पत्तिधारक को आपराधिक मामले में दंडित किया गया हो तथा वह जेल में रहा हो,
- (ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो,
- (घ) यदि सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।
- (ङ) यदि इकाई से पड़ोसी, निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो,
- (च) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

- 9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
  - 9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो । सम्पत्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में योग्य निर्णय लेंगे ।
  - 9.4 प्रबंध संचालक समय - समय पर ऐसी इकाई के नाम, पते और उनके धारकों के नाम प्रकाशित करेंगे जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो ।
  - 9.5 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।
10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ :-
- 10.1 सम्पतिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से स्थानीय निकाय को भुगतान करेगा ।
  - 10.2 सम्पत्तिधारक पर गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स 2017 के प्रचलित प्रावधान लागू होंगे ।
  - 10.3 विद्युत प्रभार उन्हें म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा ।
  - 10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा ।
  - 10.5 सम्पतिधारक को कोई फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।



**11. निरीक्षण की शक्तियां :-**

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति किन्हीं उपयुक्त अवसरों पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा।

**12. प्रचार-प्रसार :-**

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड / मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत होम स्टे की डायरेक्ट्री समय - समय पर (सम्पूर्ण प्रोफाईल) प्रकाशित की जायेगी। (आनलाईन एवं ऑफलाईन)

**13. प्रोत्साहन:-**

13.1 गोल्ड श्रेणी में पंजीकृत / अपग्रेडेड होम स्टे को रुपये 25,000/- एवं डायमण्ड श्रेणी में पंजीकृत/ अपग्रेडेड होम स्टे को रुपये 50,000/- प्रोत्साहन राशि एक बार (One time) प्रदान की जायेगी।

13.2 होम स्टे का ब्रोशर / वेबसाइट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रुपये 10,000/- सम्पत्तिधारक को एक बार (One time) देय होगा।

13.3 होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% अथवा अधिकतम रुपये 50,000/- तक की प्रोत्साहन राशि बोर्ड द्वारा देय होगी। यह राशि आने जाने के लिए ऐसी द्वितीय श्रेणी तुल्य रेल यात्रा, प्रदर्शन / प्रचार हेतु स्टॉल लगाने एवं प्रचार सामग्री पर होने वाले व्यय पर देय होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं हेतु इकोनामी क्लास का हवाई यात्रा व्यय गणना में लिया जायेगा।

13.4 कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अधिकतम रुपये 500/- का यात्रा भत्ता प्रति होम स्टे प्रति व्यक्ति बोर्ड द्वारा देय होगा। यह भत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होम स्टे स्थल से भिन्न दूसरे शहर में होने पर ही देय होगा।

13.5 उपरोक्त प्रोत्साहनों हेतु प्रकरणों का निराकरण परिशिष्ट - 2 पर विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

13.6 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में एक श्रेष्ठ होम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

**14. प्रशिक्षण :-**

संभावित होम स्टे धारकों / पंजीकृत होम स्टे धारकों को प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग / आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी ।

**15. होम स्टे विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका :-**

प्रदेश में होम स्टे स्थापना हेतु स्व सहायता समूह एवं अलाभकारी संस्थाओं आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

**16. योजना को लागू करना :-**

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे ।

**17. योजना की व्याख्या / स्पष्टीकरण / संशोधन :-**

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

प्ररूप - अ

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना  
(पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)  
के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र  
(कंडिका 2.5)**

- 1 होम स्टे का नाम : .....
- 2 सम्पत्तिधारक का नाम : .....
- 3 होम स्टे का पता : .....  
.....
- (क) ईमेल आई.डी. : .....
- (ख) मोबाईल नम्बर : .....
- (ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक : .....
- 4 इकाई का विवरण
  - (क) इकाई के स्वामित्व अभिलेख का विवरण : .....  
(निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ)
  - (ख) स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण : .....  
अनुज्ञा एवं नक्शा  
(निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ)
  - (ग) इकाई के सामने की सड़क की चौड़ाई : .....
  - (घ) इकाई अथवा उसके निकट उपलब्ध पार्किंग की जानकारी : .....
  - (ङ) भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : .....
  - (च) कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : .....
  - (छ) भवन परिसर में कुल कक्षों की संख्या : .....  
(i) एक शैया वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : .....  
(ii) दो शैया वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : .....
  - (ज) इकाई हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कक्षों की संख्या : .....  
(i) एक शैया वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : .....  
(ii) दो शैया वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : .....  
(iii) स्नानागार तथा शौचालय की संख्या व उनका आकार : .....
  - (झ) निम्न सुविधा सहित कॉमन एरिया (वर्गमीटर में) : .....  
(i) लॉबी / लाउंज : .....  
(ii) डाइनिंग : .....

- (iii) अतिरिक्त सुविधाएँ (यदि कोई हों) : .....
- (iv) दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुविधाएँ : .....
- (v) अग्नि शमन की व्यवस्था का विवरण : .....
- 5 खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा : .....
- (शाकाहारी/मांसाहारी)
- 6 कमरे का प्रस्तावित किराया : .....
- (खानापान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार)
- (क) एक शैया कक्ष : .....
- (ख) दो शैया कक्ष : .....
- 7 पंजीयन फीस का विवरण : .....
- (क) डिमांड ड्राफ्ट / चेक क्रमांक : .....
- (ख) दिनांक : .....
- (ग) बैंक का नाम : .....
- 8 श्रेणीवार चैकलिस्ट अनुसार उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा : .....
- 9 आवेदन होम स्टे की किस श्रेणी में पंजीयन हेतु किया गया : .....
- है
- 10 संलग्न आवश्यक दस्तावेज का विवरण : .....
- (i) संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि : .....
- (ii) इकाई में निवासरत परिवार का विवरण : .....
- (iii) इकाई में उपलब्ध सुविधा की चेक लिस्ट : .....
- (iv) संपत्ति कर भुगतान रसीद : .....
- (v) इकाई के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति : .....
- (vi) संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति : .....
- (vii) पैन कार्ड की प्रति : .....
- (viii) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र : .....
- (ix) मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शा : .....
- (x) हाउसिंग सोसायटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र : .....
- (xi) इकाई के फोटोग्राफ्स : .....

उपर्युक्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

**हस्ताक्षर**

**संपत्तिधारक का नाम** .....

**स्व-घोषणा-पत्र**

मैं श्री ..... पिता का नाम श्री ..... आयु ..... निवासी ..... घोषणा करता हूँ कि :-

- मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपने आवासीय भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है।
- मेरे तथा मेरे परिवार के विरुद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा किसी आपराधिक मामले में मैं दंडित नहीं हुआ हूँ।
- मैंने उपरोक्त योजना का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

**हस्ताक्षर**

**घोषणाकर्ता का नाम** .....

प्ररूप - 'ब'

**मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल****मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)****पंजीयन प्रमाण पत्र****( कंडिका क्र. 2.10)**

पंजीयन क्रमांक

श्रेणी

प्रमाणित किया जाता है कि आवास क्रमांक ..... जिसके स्वामी श्री / श्रीमती / सुश्री ..... है । मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक ..... पर ..... श्रेणी में पंजीकृत है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक ..... तक वैध है ।

**प्रबंध संचालक**  
**मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,**  
**भोपाल**

प्ररूप -स'

## मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)

स्थापना की डायरेक्ट्री का प्रपत्र

(कंडिका - 2.12)

| स.क. | पंजीयन क्रमांक | श्रेणी | पंजीयन तिथि | गृह स्वामी का नाम | डाक का पूरा पता | फैक्स नम्बर | ई-मेल | मोबाईल नम्बर | लैंडलाइन नम्बर | कमरों की संख्या एवं किराया |           | संपत्ति के फ्रंट व्यू का फोटो | पंजीयन की वैधता अवधि |
|------|----------------|--------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
|      |                |        |             |                   |                 |             |       |              |                | एकल शैल्या                 | दो शैल्या |                               |                      |
| 1    | 2              | 3      | 4           | 5                 | 6               | 7           | 8     | 9            | 10             | 11                         | 12        | 13                            | 14                   |
|      |                |        |             |                   |                 |             |       |              |                |                            |           |                               |                      |



**परिशिष्ट - 1**

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010**  
**(संशोधित 2018) अंतर्गत होम स्टे इकाई के स्थापना की स्वीकृति व**  
**पंजीयन / उन्नयन की चेक लिस्ट**

- होमस्टे का नाम एवं पता.....
- सम्पत्तिधारक का नाम.....
- मोबाईल क्रमांक.....
- ई - मेल आईडी .....
- होम स्टे हेतु पात्रता परीक्षण चेक लिस्ट :-

| स.क्र. | सुविधायें                                                                                                                                                    | सिल्वर | गोल्ड | डायमंड | होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा | पंजीयन समिति की सत्यापित टीप |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष(2बेड) या अधिकतम छः कक्ष (12बेड) की उपलब्धता।<br>(सभी कक्ष स्वच्छ, कीट/नमी रहित, हवादार हो।) | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 2      | सुव्यवस्थित संधारित मकान और अतिथि कक्ष जिसमें गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ कालीन बिछे हो या टाइल्स या मार्बल फ्लोरिंग तथा फर्नीचर आदि की उपलब्धता।               | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 3      | प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम आकार।<br>(वर्ग फिट में)                                                                                                             | 120    | 120   | 180    |                                                      |                              |
| 4      | कक्षों में आरामदायक एवं उच्च गुणवत्ता की चादरों, गिलाफों से युक्त बेड की उपलब्धता।                                                                           | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 5      | प्रत्येक कक्ष के साथ अटैचड स्नानागार एवं प्रसाधन की उपलब्धता।                                                                                                | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 6      | प्रत्येक स्नानागार का न्यूनतम आकार (वर्ग फीट में) ।                                                                                                          | 30     | 45    | 60     |                                                      |                              |



| स.क्र. | सुविधायें                                                                                       | सिल्वर | गोल्ड | डायमंड | होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा | पंजीयन समिति की सत्यापित टीप |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7      | प्रसाधन में पाश्चात्य शैली की बैठक,ढक्कन एवं टॉयलेट पेपर इत्यादि आधुनिक प्रसाधनों की उपलब्धता । | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 8      | गर्म और ठंडे पानी की अबाधित उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ।                 | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 9      | धुआँरहित, आरोग्यशील, कीट रहित एवं स्वच्छ किचिन की व्यवस्था ।                                    | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 10     | भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की उपलब्धता ।                                               | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 11     | उत्तम गुणवत्ता की क्राकरी एवं कटलरी की उपलब्धता।                                                | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 12     | कक्षों में एसी/हीटर की उपलब्धता जिससे कमरों का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहे ।            | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 13     | कक्षों में सीलिंग पंखों की उपलब्धता ।                                                           | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 14     | आयरन (प्रेस) तथा आयरन स्टैंड की उपलब्धता ।                                                      | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 15     | वाई फाई कनेक्शन की उपलब्धता ।                                                                   | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 16     | प्रत्येक कक्षों में केबल कनेक्शन/ डीटीएच सहित टीवी की उपलब्धता।                                 | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 17     | प्रत्येक कक्ष में इन्टरकाम की उपलब्धता ।                                                        | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 18     | न्यूनतम चार हेंगर एवं कपड़े रखने हेतु एक आलमारी (वार्डरोब) की उपलब्धता ।                        | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 19     | शेल्स एवं ड्रावर युक्त आलमारी की उपलब्धता ।                                                     | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 20     | पीने के लिए आर.ओ./एक्वागार्ड/मिनरलपानी की व्यवस्था ।                                            | M      | M     | M      |                                                      |                              |

| सं.क्र. | सुविधायें                                                                                                     | सिल्वर | गोल्ड | डायमंड | होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा | पंजीयन समिति की सत्यापित टीप |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 21      | उच्च गुणवत्तायुक्त कुर्सियाँ, राइटिंग टेबल और अन्य आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता।                                | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 22      | कपड़े धुलाई हेतु वाशिंग मशीन/ ड्रायर की उपलब्धता एवं ड्राई क्लीनिंग की उचित व्यवस्था ।                        | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 23      | कक्षों में रेफ्रीजरेटर की उपलब्धता।                                                                           | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 24      | बरामदे एवं लाउन्ज में बैठक व्यवस्था।                                                                          | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 25      | पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की उपलब्धता।                                   | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 26      | स्थानीय निकायों के नियमानुसार कचरा निपटान व्यवस्था ।                                                          | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 27      | ऑनलाइन भुगतान तथा मनी ट्रांसफर की उचित व्यवस्था ।                                                             | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 28      | अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष क्रमांक का प्रदर्शन ।           | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 29      | अतिथियों के छूटे सामान की उचित देखभाल एवं रखरखाव की व्यवस्था ।                                                | M      | M     | M      |                                                      |                              |
| 30      | अतिथियों के सामान को लाने-ले जाने की व्यवस्था। (अनुरोध पर)                                                    | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 31      | अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु 'सेफ' की व्यवस्था ।                                                         | D      | M     | M      |                                                      |                              |
| 32      | दमकल विभाग के नियमानुसार आग से बचाव, अग्निशमन आपातकालीन निकासी (इमरजेंसी एग्जिट) इत्यादि की समुचित व्यवस्था । | D      | D     | M      |                                                      |                              |
| 33      | समुचित संख्या में सुरक्षाकर्मियों की हर समय उपलब्धता ।                                                        | D      | M     | M      |                                                      |                              |

| स.क्र. | सुविधायें                      | सिल्वर | गोल्ड | डायमंड | होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा | पंजीयन समिति की सत्यापित टीप |
|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 34     | अतिथि-पंजी की उपलब्धता/संधारण। | M      | M     | M      |                                                      |                              |

टिप्पणी- अलग-अलग श्रेणी में ग्रेडिंग उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवा की गुणवत्ता के आधार पर होगी।

### आवेदक के हस्ताक्षर

#### • निरीक्षण समिति का स्पष्ट अभिमत :-

आज दिनांक ..... को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक ..... के परिपालन में समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। आवेदक इकाई होम स्टे योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका (2) के अनुसार ..... होम स्टे पंजीयन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त पाई गई। अतः समिति होम स्टे योजना अंतर्गत ..... होम स्टे को ..... श्रेणी अन्तर्गत पंजीयन करने / पंजीयन नहीं करने की अनुशंसा करती है।

नाम .....

पदनाम .....

(मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड)

नाम

.....

पदनाम .....

(क्षेत्रीय प्रबंधक/प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

## परिशिष्ट - 2

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010**  
**(संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि**  
**प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया**

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र -1 में ऑन-लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक संचालक / प्रबंधक होम स्टे योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 दिवस में संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) को प्रस्तुत किये जायेंगे। (प्रपत्र - 2)
4. संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 2 दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदनुसार उल्लेख कर प्रकरण संचालक निवेश संवर्धन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5. संचालक निवेश संवर्धन द्वारा संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) से प्राप्त आवेदन नस्ती को 2 दिवस में प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्रवाई हेतु अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा। अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :-
  - अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे।
  - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा।
  - स. उपरोक्त सूचना ई-मेल के माध्यम से आवेदक इकाई को दी जायेगी।

- द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया जायेगा । आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा । प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 3 दिवस में संयुक्त संचालक/संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा ।
- इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे ।
6. प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगा :-
- (i) सहायक संचालक / प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी होम स्टे योजना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल ।
  - (ii) संयुक्त / उप संचालक वित्त एवं लेखा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का प्रतिनिधि।
7. जिन प्रकरणों में गोल्ड/डायमंड श्रेणी अंतर्गत पंजीयन आवेदन किया गया हो तथा इन श्रेणियों के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो वहां पुनः निरीक्षण नहीं किया जायेगा । इकाई के आवेदन एवं संबंधित श्रेणी हेतु जारी पंजीयन के आधार पर ही प्रोत्साहन पात्रता की अनुसंधान की जायेगी । प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदन एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी । ऐसे प्रमाणों में निरीक्षण आदि प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।
8. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर किया जायेगा ।
9. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र-3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्साहन की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक /संचालक निवेश संवर्धन

- के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को किया जायेगा ।  
यह कार्रवाई 10 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी ।
10. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक / संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी ।
  11. अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा । स्वीकृति आदेश संचालक निवेश संवर्धन द्वारा प्रपत्र-4 में जारी किया जावेगा ।
  12. संचालक निवेश संवर्धन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या-37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्वयन अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु ट्रिजम बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।
  13. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस में प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन-लाइन किया जायेगा ।
  14. पात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा ।
  15. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।

सचिव, पर्यटन विभाग.

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010**  
**(संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि**  
**स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र**

प्रति,

प्रबंध संचालक  
 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,  
 भोपाल (म.प्र.)

**विषय :-मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2018**  
**अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति बावत् ।**

- (1) होम स्टे का नाम : .....
- (2) पता : .....
- (3) पंजीयन क्रमांक : ..... वैधता तिथि .....
- (4) सम्पत्ति धारक का नाम : .....
- (5) ईमेल आईडी : .....
- (6) मोबाइल नम्बर : .....
- (7) गोल्ड /डायमण्ड श्रेणी में पंजीयन/नवीनीकरण अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति का विवरण -
  - (7.1) प्रथम बार पंजीकरण की श्रेणी : श्रेणी रहित पूर्व पंजीकृत ☐
  - (7.2) वर्तमान पंजीकृत श्रेणी : सिल्वर ☐ गोल्ड ☐ डायमण्ड ☐
  - (7.3) परिवर्तन हेतु श्रेणी : गोल्ड ☐ डायमण्ड ☐
- (8) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विवरण :-
  - (8.1) ट्रेवल मार्ट का नाम : .....
  - (8.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय ☐ अन्तर्राष्ट्रीय ☐
  - (8.3) स्थान एवं दिनांक : ..... दिनांक .....

(8.4) यात्रा का माध्यम : रेल्वे यात्रा ☐ विमान यात्रा ☐

(8.5) पीएनआर नम्बर/टिकट नं. : .....

(8.6) यात्रा दिनांक : .....

(8.7) यात्रा पर व्यय राशि : .....

(रेल्वे टिकट/बोर्डिंग पास संलग्न करना अनिवार्य है)

(8.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल

पर व्यय राशि रु. ....

(8.9) स्थापित स्टॉल निर्माण का

देयक क्रमांक, दिनांक एवं राशि : .....

(देयक संलग्न करना अनिवार्य है)

(9) प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु राशि प्राप्ति हेतु विवरण -

(9.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार : वेबसाईट ☐ ब्रोशर ☐

(प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न करना अनिवार्य है)

(9.2) प्रचार-प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रु. : .....

(9.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक : .....

(कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)

(10) मध्यप्रदेश दूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन अनुदान बांटा-

(10.1) प्रशिक्षण का विषय : .....

(10.2) प्रशिक्षित व्यक्तियों के नाम : .....

(10.3) स्थान एवं दिनांक : .....

(10.4) होम स्टे से प्रशिक्षण स्थल की दूरी : .....

(10.5) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रति : .....



अतः अनुरोध है कि मुझे होम स्टे (स्थापना तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अंतर्गत बैंक का नाम

.....खाता क्रमांक.....आईएफएससी  
कोड ..... में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का कष्ट  
करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

### स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .....होम स्टे का नाम  
..... स्थान ..... जिला..... पंजीयन  
क्रमांक ..... दिनांक ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ  
कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । इसमें किसी भी  
प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी । उपरोक्त  
वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा  
सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश ट्रिजम  
बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

मोबाइल नम्बर .....

ई-मेल आईडी .....

प्रपत्र -2

**मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010**  
**(संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि**  
**प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया नोटशीट**

- (1) होम स्टे का नाम : .....
- (2) होम स्टे का डाक पता तथा : .....  
दूरभाष क्रमांक, ईमेल, वेबसाइटआदि
- (3) होम स्टे के सम्पत्तिधारक का नाम : .....  
एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक ई-  
मेल
- (4) स्थापित होम स्टे स्थल का नाम : .....
- (5) स्थापित होम स्टे का संक्षिप्त : .....  
विवरण
- (6) होम स्टे श्रेणी परिवर्तन का विवरण
  - (6.1) प्रथम बार पंजीकृत श्रेणी का : .....  
नाम
  - (6.2) वर्तमान पंजीकृत श्रेणी का : .....  
नाम
  - (6.3) आवेदित श्रेणी परिवर्तन का : .....  
नाम
- (7) ट्रेवल मार्ट में सहभागिता संबंधी विवरण
  - (7.1) ट्रेवल मार्ट का नाम : .....
  - (7.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय ☐ अन्तर्राष्ट्रीय ☐
  - (7.3) ट्रेवल मार्ट का स्थान : .....
  - (7.4) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा का : .....  
माध्यम (रेल्वे अथवा हवाई  
जहाज द्वारा)

- (7.5) ट्रेवल मार्ट यात्रा हेतु प्रयुक्त : .....  
टिकिट का विवरण(पीएनआर  
नं./बोर्डिंग पास आदि)
- (7.6) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा का : .....  
दिनांक
- (7.7) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा व्यय : .....  
राशि
- (7.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल : .....  
का आकार
- (7.9) स्थापित स्टॉल पर व्यय राशि : .....
- (8) होम स्टे के प्रचार-प्रसार का विवरण
- (8.1) वेबसाइट निर्माण : .....
- (8.2) ब्रोशर : .....
- (8.3) प्रचार-प्रसार सामग्री पर व्यय : .....  
राशि
- (8.4) देयक क्रमांक : .....
- (8.5) देयक दिनांक : .....

उपरोक्तानुसार होम स्टे योजना अंतर्गत आवेदक श्री..... पंजीयन क्रमांक .....द्वारा दिनांक .....को होम स्टे योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु आवेदन किया है । आवेदन पत्र का परीक्षण उपरांत प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण पाया गया है । अतः अग्रिम कार्रवाई हेतु अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत ।

सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी  
होम स्टे योजना

संयुक्त संचालक

## प्रपत्र - 3

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010  
(संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु प्राप्त आवेदनों  
के निराकरण की प्रक्रिया अंतर्गत गठित समिति का निरीक्षण व अनुशंसा  
प्रतिवेदन।

- 1) होम स्टे का नाम :.....
- 2) पता :.....
- 3) पंजीयन क्रमांक :-.....वैधता तिथि :-.....
- 4) संपत्तिधारक का नाम:.....
- 5) ई-मेल आईडी :-.....
- 6) मोबाईल नंबर :-.....

समिति द्वारा दिनांक ..... को उक्त होम स्टे/गोल्ड श्रेणी में पंजीयन अथवा उन्नयन / डायमंड श्रेणी में पंजीयन अथवा उन्नयन/ ट्रैवल मार्ट में सहभाग/ प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का निरीक्षण किया गया । मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2018 की कंडिका 13 के अनुसार गोल्ड श्रेणी में पंजीयन अथवा उन्नयन/डायमंड श्रेणी में पंजीयन अथवा उन्नयन/ ट्रैवल मार्ट में सहभाग/ प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु पात्र है। होम स्टे इकाई द्वारा.....अंतर्गत किये गये व्यय रुपये.....में से रुपये.....प्रोत्साहन राशि मान्य की जाने की अनुशंसा की जाती है । होमस्टे इकाई ने यह राशि उसके खाता क्रमांक.....बैंक का नाम ..... शाखा.....IFSC..... में भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है ।

## अथवा

निम्नलिखित कारणों से समिति द्वारा होम स्टे को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत/अपग्रेडेशन करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक.....

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम -

सहायक संचालक / प्रबंधक

प्रभारी अधिकारी/होम स्टे योजना

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

हस्ताक्षर एवं सील

नाम

पदनाम -

संयुक्त / उपसंचालक वित्त

एवं लेखा के प्रतिनिधि

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र - 4

**मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड**  
**छठा तल लिली ट्रेडिंग, जहांगीराबाद, भोपाल**

क्रमांक ...../...../MPTB/IP/होमस्टे/प्रोत्साहन/2018 भोपाल, दिनांक...../...../2018  
प्रति,

(इकाई का नाम एवं पता)

.....  
.....

**विषय:- मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्रकरण का स्वीकृति सूचना पत्र ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत प्रोत्साहन राशि आवेदन क्रमांक ..... दिनांक ..... के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि आपकी होम स्टे इकाई ..... को प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु पात्र माना जाकर योजना की ..... अंतर्गत प्रोत्साहन राशि रु. ....../- स्वीकृत किया जाता है । यह राशि बजट उपलब्धता के अनुसार आपके द्वारा दिये गये बैंक खाता क्रमांक ..... में यथाशीघ्र स्थानांतरित की जायेगी । कृपया प्रोत्साहन राशि प्राप्त होते ही प्राप्ति सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें ।

**(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)**

**संचालक**  
**निवेश संवर्धन**

पृ.क्रमांक...../...../MPTB/IP/होमस्टे/प्रोत्साहन/2018 भोपाल, दिनांक ..../...../2018  
**प्रतिलिपि:-**

- 1 निज सहायक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ ।
- 2 निज सहायक अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ ।
- 3 उपसंचालक (वित्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बजट शीर्ष अंतर्गत प्राप्त राशि में से स्वीकृत प्रोत्साहन राशि इकाई के बैंक खाता क्रमांक ..... बैंक/या वित्तीय संस्था का नाम ..... शाखा ..... IFSC Code ..... में अंतरित कर निवेश संवर्धन प्रभाग को विवरण सहित अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4 कार्यालय नस्ती ।

**संचालक**  
**निवेश संवर्धन**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.